VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

स्वैच्छिक क्षेत्र के लिये राष्ट्रीय नीति पर अध्ययन रिपोर्ट

वोलन्टरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)

समर्थन द्वारा :

im
INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP
SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

स्वैच्छिक क्षेत्र के लिये राष्ट्रीय नीति पर अध्ययन रिपोर्ट

लेखक : **वोलन्टरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)**

दिसंबर 2020

कॉपीराइट (c)
वोलन्टरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक की सामग्री कुछ हिस्सों में प्रकाशक को उचित पावती के साथ पुनरू प्रस्तुत की जा सकती है।

प्रकाशित द्वारा :

वोलन्टरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हाउस, 7, पीएसपी पॉकेट,
सेक्टर –8, द्वारका, नई दिल्ली 110 077
फोनरू 91– 11 – 49148610, 40391661, 40391663
ई–मेल : info@vaniindia-org
वेबसाइट : www-vaniindia-org

डिजाइन :
वाणी

मुद्रकः
प्रिंट वर्ल्ड
ईमेल : printworld96@gmail-com

@TeamVANI @vani_info @VANI India @VANI Perspective

स्वीकृतियाँ

यह रिपोर्ट वाणी की एक पहल के हिस्से के रूप में बाहरी सक्षम वातावरण को मजबूत करने और स्वैच्छिक क्षेत्र को भीतर से मजबूत करने के लिए किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह अध्ययन आई एम स्वीडिश डेवलपमेंट पार्टनर द्वारा समर्थित है। यह शोध वाणी के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किया गया हैं। हम इस क्षेत्र में गहन साक्षात्कार और वाणी द्वारा की गई चर्चाओं के दौरान उनकी व्यावहारिक टिप्पणियों के लिए और रिपोर्ट की अवधारणा में उनके निरंतर समर्थन के लिए सभी वरिश्ठ नेताओं और स्वैच्छिक संगठनों के विस्तार के लिए हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता–पूर्व युग से ही स्वैच्छिक संगठनों राश्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते रहे हैं। हालाँकि, ऐसा करने में स्वैच्छिक संगठनों का योगदान आज तक अपरिचित नहीं है। सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच संबंध भी अपरिभाशित रहे हैं। स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति उनके कार्य संबंध को परिभाशित करने और उसे प्रमाणित करने और मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास था। नीति को योजना आयोग द्वारा विकसित किया गया था और केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसका समर्थन किया गया था। हालाँकि, जिस उद्देश्य के लिए नीति विकसित की गई थी वह पूरा नहीं हुआ था। नीति के परिचय के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना नहीं की गई। एफसीआरए अधिनियम 2010 की तरह लागू होने वाले नए कानून बेहद कठोर थे और स्वैच्छिक क्षेत्र की भावना का सम्मान नहीं करते थे। एक भी कानून ऐसा नहीं बना था जिसके तहत सभी विकास संगठनों को समान रूप से पंजीकृत किया जा सकता था। भारत में स्वेच्छिक संगठनों पर पंजीकरण को नियंत्रित करने वाला कानून अभी भी पुराना है, जिसके तहत कोई भी संगठनों, शैक्षणिक, चिकित्सा, अनुसंधान, धर्मार्थ आदि हो सकता है। कपार्ट द्वारा विकसित नेशनल एक्रेडिटेशन कॉउन्सिल (एनएसी), दिन की रौशनी नहीं देख पाया , क्योंकि इसमें क्षेत्र का मामूली प्रतिनिधित्व था। पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय समान कानून रखने की सिफारिश तैयार नहीं की गई थी। वोलन्टरी एक्शन सेल को न केवल स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में देखा गया था, बल्कि वह नीति निर्माण [1] के संबंध में स्वैच्छिक संगठनों की शिकायतों पर चर्चा करने और उन्हें सम्बोधित करने के लिए एक मंच भी था।

वाणी, भारत में स्वैच्छिक संगठनों का एक सर्वोच्च निकाय होने के नाते इस क्षेत्र के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाती रही है। क्षेत्र, स्वैच्छिक क्षेत्र, दाताओं, सरकार और कॉर्पोरेट्स के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए वाणी नीति विश्लेशण के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस जनादेश के तहत कार्य करते हुए, वाणी ने विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सांसदों और नौकरशाहों के साथ बैठकों और संवादों (निर्णय निर्माताओं के लिए पत्र और याचिकाएं) का प्रतिनिधित्व किया गया था, और हितधारकों को शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इस तरह के अभ्यास में स्वैच्छिक क्षेत्र को शामिल करने के लिए योजना आयोग को समझाने के वाणी के प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले। यह स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए नीति को आकार देने में सरकार–सीएसओ साझेदारी का एक आदर्श मामला था। वाणी ने नीति निर्माण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बैठकें भी कीं और राज्य नीतियों के साथ–साथ कई राज्य स्तरीय संवादों में व्यस्त रहे।

लंबे समय तक वकालत करने के बाद, योजना आयोग ने 2005 में मसौदा नीति पर काम करने के लिए विशेशज्ञों का एक समूह गठित किया। 18 फरवरी, 2005 को स्वैच्छिक संगठनों की प्रमुख प्रतिनिधियों की बैठक में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति के प्रारूप पर चर्चा की गई। सदस्य, प्लानिंग कमीशन की अध्यक्षता में प्रख्यात स्वयंसेवी संगठनों के 15 से अधिक प्रतिनिधियों ने स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति में योगदान दिया। मसौदा नीति को संशोधित करने के लिए चार विशेशज्ञ समूहों का गठन किया गया था, जिसमें से वाणी ने क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और शासन [2] की अध्यक्षता की थी।

हालाँकि, नीति का प्रारूप जो अंततः आया, दुर्भाग्य से कभी लागू नहीं किया गया।

यह अध्ययन स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति को फिर से लागू करने, इसके कार्यान्वयन पर बहस को फिर से शुरू करने के लिए एक ईमानदार प्रयास है, जो कि नीति के अंतिम प्रारूप को पेश किए जाने के बाद से कभी नहीं हुआ और ये देश के विकास में स्वैच्छिक संगठनों के योगदान को मान्यता देगा।

अंत में, मैं इस अध्ययन को सफलतापूर्वक करने के लिए, हमारी शोध टीम, डॉ पल्लवी रेखी (कार्यक्रम अधिकारी) और सुश्री निवेदिता दत्ता (कार्यक्रम प्रबंधक) को धन्यवाद देना चाहूंगा।

हर्ष जेटली

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाणी

लघुरूप

कोविड 19	–	कोरोना वायरस डिजीज – 2019
वाणी	–	वोलन्टरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
स्वैच्छिक संगठनों	–	वोलन्टरी आर्गेनाईजेशन
एफसीआरए	–	फौरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट
सीएसआर	–	कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी
पीएसयू	–	पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग
एनएसी	–	नेशनल एक्रेडिटेशन कॉउन्सिल
कपार्ट	–	कॉउन्सिल ऑफ एडवांस्मेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी
एसडीजी	–	सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
पीएफएमएस	–	पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम
ओसीआई	–	ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
एमएचए	–	मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स

सामग्री

पृष्ठ	संख्या
प्रसंग	8–10
परिचय	11–15
अध्याय I: स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए नियामक सुधार	16–23
अध्याय II: सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच संबंध	24–26
अध्याय III: स्वैच्छिक क्षेत्र के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना	27– 28
अध्याय IV: नई नीति के लिए सिफारिशें	29–31
सन्दर्भ और ग्रंथ सूची	32

प्रसंग

भारतीय समाज का स्वतंत्रता–पूर्व युग धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक मान्यताओं के एक जाल में फंस गया था। पशु बलि, और शारीरिक यातना जैसी घृणित प्रथाएं प्रथागत थीं। अन्य सामाजिक हठधर्मिता विशेश रूप से महिलाओं से सम्बंधित। समान रूप से निराशाजनक थीं। एक बालिका अवांछित थी, जिसने कन्या भ्रूण हत्या की संख्या को बढ़ाया। बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था और उनकी शादी एक बोझ थी। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव पदानुक्रम जैसी और सामाजिक प्रथाएं भी सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती थीं।

स्वैच्छिक क्षेत्र ने इन सभी को एक आधुनिक भारत की विशेशताओं के रूप में खारिज कर दिया और उन्हें अनैतिक माना। समय के आरम्भ से ही चल रहे सामाजिक सुधारों को लाने और नवीनीकरण प्राप्त करने में स्वैच्छिक क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रहा है।

आज भी, स्वैच्छिक संगठन, विकास और राष्ट्रीय वृद्धि को प्राप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसलिए, राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता 1980 के दशक से ही है। बहुत सारी बहस और परामर्श के बाद, सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के बीच एक बातचीत शुरू हुई। योजना आयोग ने नई दिल्ली में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दश भर से स्वेछिक क्षेत्र के 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस नीति के माध्यम से संबोधित किए जाने वाले मुद्दों की जांच की और सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के बीच एक मजबूत और स्वस्थ सहयोग विकसित करने के लिए विधि की पहचान की।

अधिवेशन के परिणामस्वरूप, सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के बीच सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए विकसित की गई प्रारूप नीति को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को विश्लेशण करने और फीडबैक प्रदान करने के लिए भेजा गया था। हालाँकि, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस प्रारूप की बहुत आलोचना की गई थी।

बाद में, 2001 में, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संचालन समिति विकसित की गई थी। इसके नतीजतन, विकास करने में स्वैच्छिक संगठनों के महत्व को पहचानने की आवश्यकता उठी, और पूरे भारत में सभी स्वैच्छिक संगठनों को नियंत्रित करने वाली एक ही नीति की आवश्यकता थी। स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने और स्वैच्छिक संगठनों के पंजीकरण से संबंधित कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और स्वैच्छिक क्षेत्र के बारे में एक सकारात्मक कथा विकसित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

संचालन समिति ने आपसी सम्मान और सामान्य लक्ष्यों की पहचान करने के लिए सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के बीच बातचीत को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा, इस समिति का प्रमुख लक्ष्य एक क्षेत्र विशेश नीति थी, जिसे पूरे देश में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा लागू किया जा सकता था।

एक राष्ट्रीय सम्मेलन 2002 में, माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था जो राष्ट्र निर्माण में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका पर केंद्रित था। यह संचालन समिति के ईमानदार प्रयासों के कारण था कि 2003 में, स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय नीति का प्रारूप जारी किया गया था। विभिन्न परामर्शों के बाद, 2005 में एक दूसरा प्रारूप साझा किया गया था। 2007 में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया गया जिसे प्लानिंग कमिशन की वोलन्टरी एक्शन सेल द्वारा घोशित किया गया और 17 मई, 2007 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया ।

पॉलिसी की कुछ झलकियां और उनके कार्यान्वयन की स्थिति नीचे उल्लिखित है:

- स्वैच्छिक संगठनों को नियंत्रित करने वाले सभी केंद्रीय और राज्य कानूनों, नीतियों, नियमों और विनियमों

की समीक्षा की जाएगी, स्वैच्छिक संगठनों की स्वायत्ता की सुरक्षा के लिए, साथ ही साथ उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए ।

हालांकि, हाल के एफसीआरए और आयकर संशोधनों की शुरुआत के साथ, यह कहना मुश्किल है कि यह कितना लागू किया गया है।

- सभी स्वैच्छिक संगठन को, एक केंद्रीय कानून के तहत, या तो सामाजिक संगठन, धर्मार्थ न्यास, या फिर गैर लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विकास के लिए काम करने वाली और अन्य गैर–लाभकारी संस्थाओं के बीच वर्गीकरण की आवश्यकता है।

  वर्तमान में, कुछ राज्यों ने संशोधनों के साथ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (1860) को अपनाया है, जबकि अन्य के पास स्वतंत्र कानून हैं। उदाहरण के लिए, महाराश्ट्र और गुजरात में चौरिटी कमिश्नर हैं। यह दोनों नियामक अधिकारियों के साथ–साथ स्वयं स्वैच्छिक संगठनों के लिए रिपोर्टिंग के बारे में अस्पश्टता की स्थिति पैदा करता है।

- स्वैच्छिक संगठनों को षेयरों और स्टॉक विकल्पों के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार इस प्रकार के दान के लिए उपयुक्त कर छूट पर विचार करेगी। सरकार आयकर अधिनियम के तहत धर्मार्थ परियोजनाओं को आयकर छूट का दर्जा देने के लिए प्रणाली को सरल और सुव्यवस्थित भी करेगी। साथ ही साथ, सर्कार प्रशासनिक और दण्डात्मक प्रक्रियाओं को कसने की ओर ध्यान देगी, ये सुनिश्चित करने के लिए की कागजी संस्थाएं इन प्रोत्साहनों का अपने मतलब के लिए फायदा न उठा सकें।

  हालांकि, जब तक दान को स्पश्ट रूप से परिभाशित नहीं किया जाता है, तब तक इस क्षेत्र पर लागू छूट और क्षेत्र के लिए दान करने वाले हमेशा संदेह में रहेंगे। यह वह जगह है जहां पिछली नीति का अभाव था।

- विदेशी धन की मांग करने वाले संगठनों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए। यह कानून कड़े स्क्रीनिंग मानदंडों को निर्धारित करता है जो अक्सर विदेशी निधियों का लाभ उठाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता को प्रतिबंधित करते हैं। अनुमोदन के पश्चात भी कई षर्तें हैं जैसे, धन एक ही बैंक खाते में रखा जाना चाहिए, जिस वजह से विभिन्न स्थानों पर कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए कठिनाइयां प्रस्तुत हो रही हैं।

  हालांकि कई चालू खातों की अनुमति दी गई है, लेकिन विशेश रूप से 2010 में इसके अमेंडमेंट के बाद इसे बहुत प्रतिबंधात्मक बना दिया गया है। एफसीआरए एक्ट निश्चित रूप से सरकार द्वारा समीक्षित किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से, इसने नीति में उल्लिखित उद्देश्य को हल नहीं किया। ये नीति केंद्रित थी कानून का पालन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के बीच एफसीआरए को भी लागू कराने के लिए।

- शिकायत दर्ज करने और स्वैच्छिक संगठनों की शिकायतों के निवारण के लिए औपचारिक प्रणाली होगी।

  वर्तमान में, स्वैच्छिक संगठनों के पास शिकायत दर्ज करने या सरकार के साथ अपनी शिकायतों को साझा करने के लिए कोई मंच नहीं है। कोई भी नोडल मंत्रालय या विभाग गठित या नामित नहीं किया गया था जिसके पास क्षेत्र की शिकायतों को दूर करने के लिए कार्यकारी षक्ति हो।

  नीति के षुरूआती चरणों में, सरकार द्वारा इसे लागू करने के लिए कुछ कदम उठाए गए । हालांकि, जैसे–जैसे समय बीतता गया, राज्य सरकारों को नीति को लागू करना एक बड़ी समस्या बन गई। राज्य स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों के बीच नीति के बारे में समझ बनाने के लिए वाणी ने अपने सदस्य संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय परामर्श आयोजित किए। हालाँकि, सभी सरकारी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को एक साथ लाना एक कठिन अभ्यास था। [3] [4] [5]

परिचय

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका या उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझने और पहचानने के लिए, कोविड –19 एक उत्कृश्ट उदाहरण है– व्यापक राशि में, भारत की सीमान्त और कमजोर आबादी को सेवाएं प्रदान करने से लेकर, सरकार की ओर से प्रतिबंधात्मक कानूनों और वित्तीय संसाधनों की कमी के संदर्भ में किए गए समर्थन का अभाव, यह महामारी, स्वैच्छिक संगठनों की स्थिति को अच्छे से दर्शाती है।

भारत जैसे देश में, स्वैच्छिक क्षेत्र सरकार और देश की आबादी के बीच की खाई को पाटता है। यह समुदाय की जरूरतों की पहचान करता है और यहां तक कि सबसे अछूते और सीमांत क्षेत्रों में भी अपना समर्थन और सेवाएं प्रदान करता है, जहां सरकार नहीं पहुंच पाती है।

स्वैच्छिक क्षेत्र में गैर–लाभकारी संगठन षामिल होते हैं, जो सरकार से जुड़े नहीं होते– जिनमें स्कूल और विश्वविद्यालय, वकालत समूह, पेशेवर संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान षामिल हैं। आपदा राहत सेवाओं के अलावा, स्वैच्छिक संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता, आदि के प्रचार जैसे कई अन्य कार्य करते हैं। वे नागरिकों और सरकार दोनों के लिए सूचना के एक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। वे सरकारी नीतियों और कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं और सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। साक्ष्य–आधारित वकालत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो वे सरकार, निजी क्षेत्र, और अन्य संस्थानों के लिए निभाते हैं, वैकल्पिक नीतियां प्रदान करके। वे नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और सामाजिक मानदंडों और व्यवहारों को बदलने और बनाए रखने के लिए काम करते हैं।

हालांकि, इस समय, बदलते परिदृश्य के कारण स्वैच्छिक क्षेत्र में बहुत उथल–पुथल है, विधायिका में संशोधनों, कोविड –19 के कठोर प्रभाव, संसाधनों में कमी और स्वैच्छिक संगठनों के संदिग्ध अस्तित्व के संदर्भ में। इसलिए, उन प्रणालियों और तंत्रों की पहचान करना अनिवार्य हो गया है जो सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के बीच आपसी सम्मान और एक सामान्य दृश्टिकोण के आधार पर मजबूत सहयोग को सक्षम बनाएंगे। इस तालमेल की सुविधा के लिए, स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति को फिर से तैयार करना आवश्यक है। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वृद्धि के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रोत्साहित, सक्षम और सशक्त बनाना इस नीति का व्यापक उद्देश्य है।

स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति मोटे तौर पर उन सिफारिशों पर केंद्रित है जिनमें निम्नलिखित ध्यान दिया गया है:

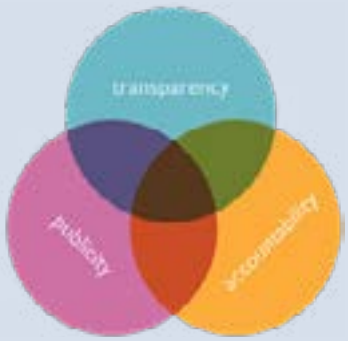

- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचा तैयार करना
- सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच साझेदारी को मजबूत करना
- स्वैच्छिक संगठनों के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिशद की स्थापना

निम्नलिखित स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति, 2007 की उपर्युक्त सिफारिशों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा है:

- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति का पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य विनियामक ढांचे को सामंजस्य बनाने, स्वैच्छिक संगठनों को सशक्त बनाना, और एक स्वतंत्र, रचनात्मक और प्रभावी स्वैच्छिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। इसने रूप और कार्य में विविधता प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में पूर्ण योगदान दिया है।

हालांकि, स्वैच्छिक क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों के संबंध में हाल ही में हुई प्रगति, और वाणी और अन्य लोगों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के निश्कर्शों ने भी पूरी तरह से प्रतिकूल वास्तविकता का संकेत दिया। सरकार ने कानूनों को अधिक सरलीकृत, समान और अनुकूल बनाकर क्षेत्र के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के बजाय, सख्त, विरोधाभासी और कड़े नियमों को लागू किया है जो स्वैच्छिक क्षेत्र के समग्र विकास और स्थिरता में बाधा डालते हैं। सरकार द्वारा हाल ही में पारित एफसीआरए और आयकर अमेंडमेंट को व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है, क्षेत्र के लिए एक सामंजस्य नियामक ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए। वर्तमान स्थिति से नागरिक समाज और ज्यादा सिकुड़ सकता है और विकास के दो स्तंभों के बीच संबंध में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

- नीति को विकसित करने का अगला लक्ष्य आपसी विश्वास और सम्मान और एक साझा मिशन के आधार पर सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच सहयोग को सक्षम करने के लिए प्रणालियों की पहचान करना था। दिलचस्प है कि उदारीकरण के बाद एक अलग मंत्रालय और नियामक सुधारों के कारण कॉर्पोरेट क्षेत्र को जगह मिली जबकि स्वैच्छिक क्षेत्र अभी भी बुनियादी क्षेत्र के अनुकूल नियामक सुधारों के लिए संघर्श कर रहा है। विभिन्न विशेशज्ञों से विभिन्न सिफारिशों के बावजूद, क्रियाएं विरोधाभासी रही हैं। जीडीपी और अन्य आर्थिक संकेतक जैसे क्षेत्र की प्रकृति और दायरे में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका को स्पश्ट करने की आवश्यकता है। कभी–कभी जीडीपी वृद्धि में स्वैच्छिक संगठनों का योगदान, सामाजिक–आर्थिक सद्भाव और विकास की उनकी भूमिका से आगे निकल जाता है। भारत में स्वैच्छिक संगठनों के अविश्वसनीय समर्थन के बिना अकेले सरकार कोविड –19 संकट से नहीं लड़ सकती थी। इस सहयोग के निश्चित रूप से सार्थक परिणाम मिले।

- इस नीति ने इस क्षेत्र के भीतर एक सकारात्मक कथन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने को मान्यता दी। स्वैच्छिक क्षेत्र को विश्वसनीयता, जवाबदेही और पारदर्शिता के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि, इस क्षेत्र की विशाल रचना को देखते हुए, जिसमें विभिन्न उद्देश्यों और जनादेश वाले संगठनों के विविध मिश्रण षामिल हैं, सेक्टर के लिए ऐसा करना अपने दम पर असंभव है।

- नेशनल एक्रिडिटेशन कॉउन्सिल की स्थापना भी इस नीति का एक उद्देश्य था। स्वैच्छिक क्षेत्र इस तथ्य से ग्रस्त है कि आरडब्ल्यूए, स्कूलों, अस्पतालों के साथ–साथ सभी धर्मार्थ संस्थानों को एक ही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया जाता है। परिणामस्वरूप, भारत में स्वैच्छिक संगठनों ने अपनी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और वैधता दांव पर लगाते हुए कई चुनौतियों का सामना किया है। इसलिए, पॉलिसी ने एक एजेंसी की स्थापना का उल्लेख किया जो स्वैच्छिक संगठनों (6) द्वारा कुछ मानकों के पालन को सुनिश्चित करेगा।

NATIONAL POLICY ON THE VOLUNTARY SECTOR - 2007

1. ***Preamble***

1.1 This Policy is a commitment to encourage, enable and empower an independent, creative and effective voluntary sector, with diversity in form and function, so that it can contribute to the social, cultural and economic advancement of the people of India.

Source: https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in/docs/data/ngo/npvol07.pdf

हालांकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अधिनियम को मंजूरी दिए जाने के बाद भी इसे संसद में कभी मंजूरी नहीं मिली। नीति का कार्यान्वयन बेहद खराब रहा और इसलिए, अंतराल की पहचान करने और वर्तमान संदर्भ में पहले की सिफारिशों की प्रासंगिकता को समझने की भी आवश्यकता है। इस संबंध में, वाणी ने स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति, 2007 को फिर से संशोधित और अधिक प्रासंगिक नीति बनाने के लिए प्रारूप सिफारिशें प्रदान करने के लिए यह पहल की थी।

अध्ययन का उद्देश्य

- ***स्वैच्छिक क्षेत्र** पर राट्रीय नीति की वर्तमान स्थिति पर एक ोध का संचालन करना।*
- *2007 में **स्वैच्छिक क्षेत्र** के लिए राट्रीय नीति के बाद से हुए परिवर्तनों की पहचान करना।*
- ***स्वैच्छिक क्षेत्र** पर एक संशोधित राट्रीय नीति का **प्रारूप** तैयार करने के लिए, वरिठ नेताओं से एकत्रित की गई सिफारिशे इकठ्ठा करना।*
- ***स्वैच्छिक क्षेत्र** पर राट्रीय नीति की वर्तमान स्थिति को समझने में वीओएस की मदद करना।*

अनुसंधान पद्धति और गतिविधियाँ

इस अनुसंधान ने स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति के निर्माण और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। अध्ययन प्राथमिक और माध्यमिक डेटा पर आधारित था और चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया गया था। स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ विभिन्न विशेशज्ञों और राज्य स्तरीय बैठकों के परामर्श के आधार पर संशोधित नीति की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया।

अनुसंधान और प्रलेखन

स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति की अवधारणा, इतिहास और वर्तमान स्थिति को समझने के लिए व्यापक डेस्क अनुसंधान आयोजित किया गया था। विभिन्न अन्य देशों में स्वैच्छिक क्षेत्र पर मौजूदा नीतियों को पढ़ा और विश्लेशण किया गया और उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की गई। स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति, 2007, वाणी द्वारा बनाए गए दस्तावेज और इंटरनेट पे उपलब्ध अन्य दस्तावेजों की भी जांच की गयी । स्वैच्छिक क्षेत्र के विशेशज्ञों से इनपुट और टिप्पणियां मांगी गई, संशोधित नीति के लिए सिफारिशों का प्रारूप तैयार करने के लिए।

प्राथमिक डेटा संग्रह

स्वैच्छिक क्षेत्र से प्रख्यात नेताओं के साथ गहराई से साक्षात्कार आयोजित किए गए, इसके बाद राज्य स्तर पर ई–चर्चाओं और व्यापक डेस्क षोध किया गया। मौजूदा नीति में अंतर क्षेत्रों को उजागर करने वाले कुछ प्रश्नों को इन विशेशज्ञों के साथ साझा किया गया था। इस क्षेत्र में उनके अनुभव के आधार पर उनकी टिप्पणियां और सिफारिशें मांगी गई थीं। प्राप्त किए गए इनपुट को वकालत के लिए सरकार के साथ साझा किए जाने वाले प्रारूप सिफारिशों में षामिल किया गया था।

सीमाएँ

इस अध्ययन की संभावित सीमाएँ हैं। यह एक गुणात्मक अध्ययन है, जो क्षेत्र के चुनिंदा नेताओं के गहन साक्षात्कार और टिप्पणियों पर आधारित है, जो या तो स्वैच्छिक क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति, 2007 तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े हैं,

या जिन्होंने स्वैच्छिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। इसलिए, ये निश्कर्श सामान्यीकरण के आधार के रूप में काम नहीं कर सकते हैं और आगे मात्रात्मक सत्यापन के अधीन हैं। उत्तरदाता एक छोटा सा नमूना बनाते हैं और इसलिए वे स्वैच्छिक क्षेत्र के पूरे ब्रह्मांड के प्रतिनिधि नहीं हैं। कोविड–19 के दौरान अध्ययन किया गया था, इसलिए आमने–सामने परामर्श आयोजित नहीं किया जा सका।

अध्याय I: स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए विनियामक सुधार

यह अध्याय भारत में विभिन्न कानूनों और अधिनियमों के बारे में बताता है जो स्वैच्छिक क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। उन सभी पर नीचे चर्चा की गई हैरू

एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट, 2020

नीचे मुख्य परिवर्तनों के निहितार्थ प्रस्तावित हैंः

1. उप–अनुदान की अनुमति नहीं होगी : प्रस्तावित अमेंडमेंट में कहा गया है कि स्वैछिक संगठनों को किसी भी अन्य संगठन को एफसी फण्ड का उप–अनुदान करने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह एफसीआरए के तहत पंजीकृत हो या नहीं। इसके कारण कई बड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं पर काफी असर पड़ेगा, जो की सैकड़ों डाउनस्ट्रीम संगठनों को वित्तीय सहयोग देती थी। यह अमेंडमेंट धर्मार्थ गतिविधि के सामान्य रूप से स्वीकृत मानदंडों से अलग है।

वाणी द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 75% उत्तरदाताओं ने उल्लेख किया कि, एफसीआरए अमेंडमेंट 2020 के प्रभाव से उनकी चल रही परियोजनाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

इसके अलावा, डेटा ने यह भी सुझाव दिया कि उप–अनुदान में ये प्रतिबंध, अप्रत्यक्ष रूप से लंबे समय में एसडीजी की उपलब्धि को भी प्रभावित करेंगे। लगभग 87% प्रतिवादी संगठनों ने कहा कि इससे राज्य / राष्ट्रीय एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखने में कठिनाई हो सकती है।

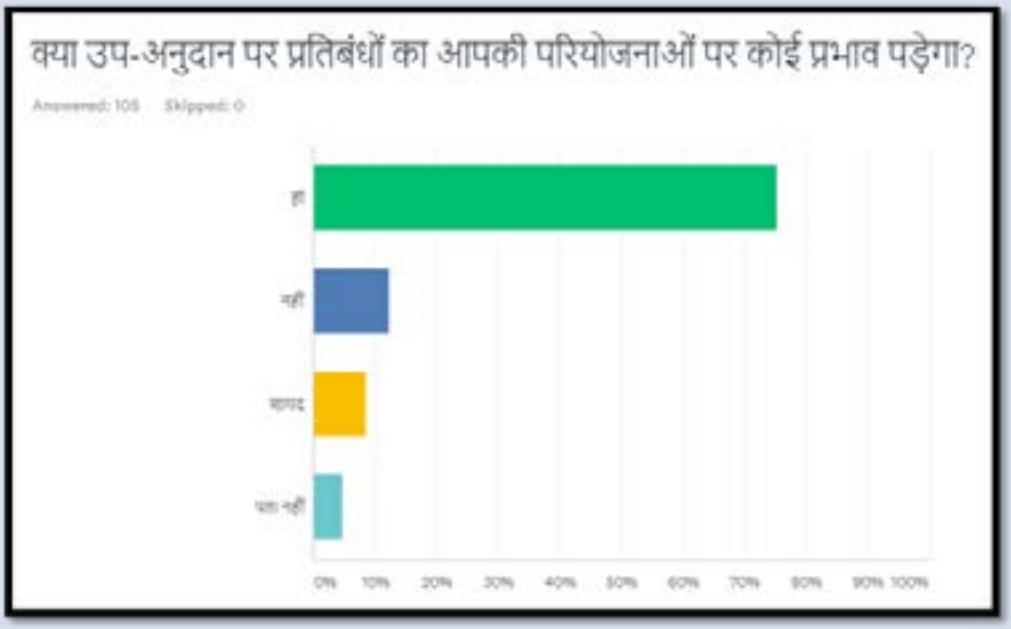

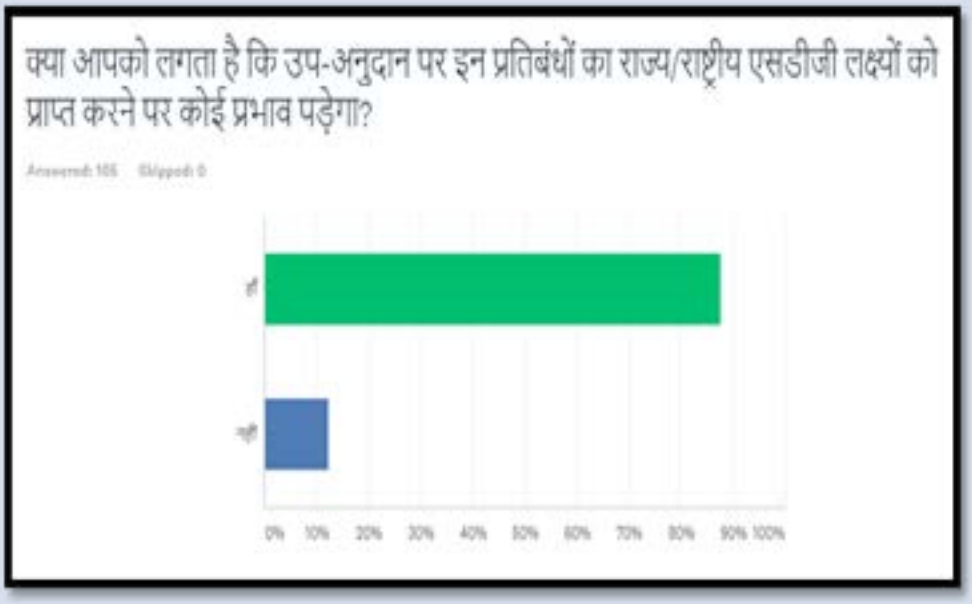

2. प्रशासनिक व्यय के लिए भत्तों में कमी : इससे पहले, एक वर्श में प्रशासनिक व्यय, उस वर्श में प्राप्त कुल एफसी फंडों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए था। परन्तु, नए संशोधनों के आने के बाद, यह सीमा घटा कर केवल 20% कर दी गयी है। उच्चतम सीमा को कम करने से गैर–लाभकारी क्षेत्र में नौकरियों का नुकसान होगा।

वाणी के आंकड़ों के अनुसार, प्रशासनिक भत्ते 50% से घटकर केवल 20% होने के कारण, संगठनों के लिए अपने खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल होगा। नतीजतन, बेरोजगारी में काफी वृद्धि होगी। कुल 104 उत्तरदाताओं में से 68% ने उल्लेख किया कि उनके कर्मचारियों को इन परिवर्तनों के कारण अपनी नौकरी खोने की संभावना है।

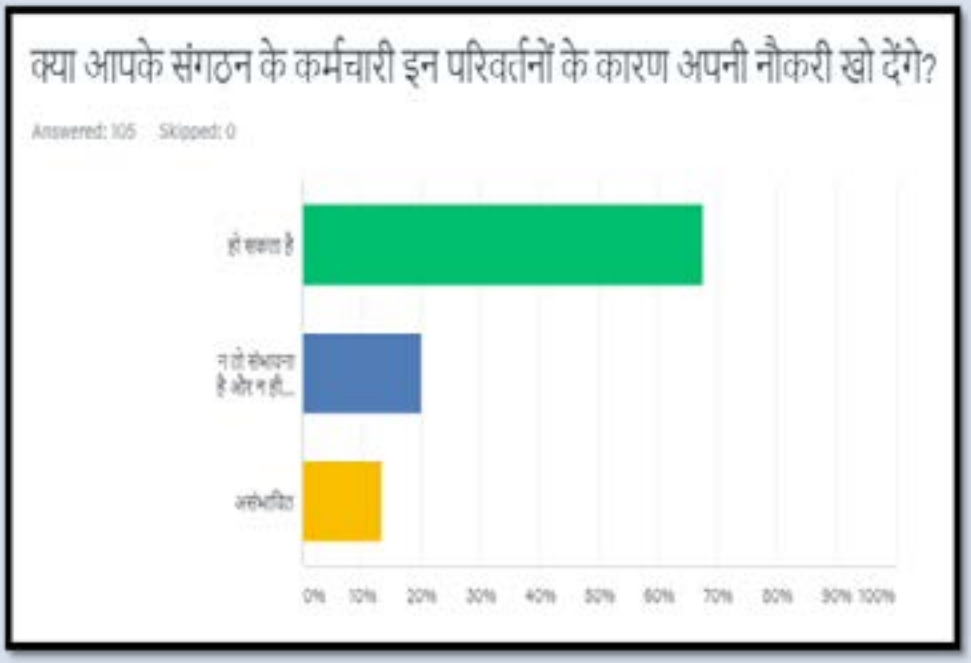

3. भारतीय स्टेट बैंक में बैंक खाते : वर्तमान में, एफसीआरए पंजीकृत संगठन, पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत, किसी भी कोर बैंकिंग अनुपालन बैंक के साथ नामित बैंक खाते खोल सकते हैं। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि नामित बैंक खाता, जिसमें सभी विदेशी योगदान प्राप्त होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिश्ट भारतीय स्टेट बैंक की षाखा में ही खोलना पड़ेगा। हालाँकि, चालू बैंक खाते पीएफएमएस विनियमों के साथ एकीकृत, किसी भी अनुसूचित बैंक षाखा में खोले जा सकते हैं। एक सरकारी बैंक की नई दिल्ली की षाखा में खाता खुलवाना षायद एक प्रयास है वदेशी फंड्स पर निगरानी रखने का। इस कानून से नई दिल्ली के बाहर स्थित संस्थानों के लिए परिचालन और प्रक्रियात्मक बाधाओं के होने की संभावना है।

4. गैर–अनुपालन के मामले में निलंबन : वर्तमान में एफसीआरए 2010 प्रमाण पत्र के लंबित निरस्तीकरण को 180 दिनों तक की अवधि के लिए निलंबित करने की षक्ति केंद्र सरकार को प्रदान करता है। प्रस्तावित अमेंडमेंट में कहा गया है कि निलंबन की अवधि को 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरे षब्दों में, आदेश जारी होने की तारीख से निलंबन की अवधि 360 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। यह अमेंडमेंट उन संगठनों के लिए बहुत कठिनाई पैदा करेगा, जिनका पंजीकरण निलंबन की कार्यवाही पूरी होने के बाद बहाल हो जाता है, क्योंकि निलंबन अवधि के दौरान, बैंक खाते सीज हो जाते हैं, जिससे संगठनों में वस्तुतः एक ठहराव आ जाता है।

5. बोर्ड सदस्यों के आधार कार्ड का अनिवार्य प्रस्तुतिकरण : यह प्रस्तावित किया जाता है कि एफसीआरए पंजीकरण ६ पूर्व अनुमोदन ६ एफसीआरए नवीकरण के लिए सभी बोर्ड सदस्यों (पदाधिकारियों, निदेशकों और प्रमुख कार्यकारियों) के लिए एमएचए आवेदन में आधार कार्ड अनिवार्य है। ओसीआई के लिए पासपोर्ट की एक प्रति आवश्यक है। वर्तमान एफसीआरए फॉर्म बताता है कि आधार नंबर वैकल्पिक ै। सरकार पहले ही बोर्ड के सदस्यों और मुख्य कामकाज पर पर्याप्त जानकारी एकत्र करती है।

6. एफसीआरए पंजीकरण का आत्मसमर्पण : अमेंडमेंट, एफसीआरए पंजीकरण के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण की अनुमति देता हैय हालांकि, एमएचए के संतुश्ट होने के बाद ही समर्पण हो सकता है कि एफसीआरए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ हो। महत्वपूर्ण रूप से एफसी योगदान से बनाई गई संपत्ति और अप्रयुक्त एफसी फंड को निर्धारित सरकारी प्राधिकरण (7) के पास निहित किया जा सकता है।

इनकम टैक्स एक्ट, 2020

- इससे पहले, कोई भी स्वैच्छिक संगठन, कर लाभ का आनंद लेने के लिए आयकर अधिनियम में दो धाराओं के तहत खुद को पंजीकृत करवा सकती थी। स्वैच्छिक संगठन, धारा 12एए के तहत पंजीकृत हो सकते थे, जिसके बाद 80जी के तहत किए गए दान पर उनके दाताओं को कर लाभ मिलता था। दूसरा खंड धारा 10 (23 सी) था, जिसके तहत स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को इस प्रावधान के तहत स्वतरू पंजीकरण प्राप्त होता था, जब तक कि उनकी वार्शिक प्राप्तियां 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं थीं।

- वित्त विधेयक 2020 पेश किए जाने से पहले, उपरोक्त सभी वर्गों के तहत पंजीकरण स्थायी आधार पर संगठनों को दिए गए थे।

- हालांकि, वित्त विधेयक 2020 के कार्यान्वयन के बाद, अमेंडमेंट केवल पांच साल तक के पंजीकरण को वैधता प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हैं जिसके बाद स्वैच्छिक संगठनों को फिर से आवेदन करना होगा।
- विधेयक में धारा 12एए से 12एबी को बदलने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि संगठनों को अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए हर पांच साल में अपने पंजीकरण को नवीनीकृत करना होगा।

- विधेयक, उन स्वैच्छिक संगठनों को, जो पहली बार आयकर अधिनियम के तहत आवेदन कर रहे हैं, तीन साल के लिए अनंतिम पंजीकरण प्रदान करता है, जिसके बाद उन्हें पंजीकरण के लिए फिर से आवेदन करना होगा, जो पांच साल तक चलेगा।

- इस अधिनियम के तहत पहले से ही स्थायी पंजीकरण वाले स्वैच्छिक संगठनों को भी नए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

- इन परिवर्तनों के अलावा, स्वैच्छिक संगठनों ने अब संशोधनों के लिए अपनी दाता सूचियों (8) को साझा करना अनिवार्य कर दिया है।

सीएसआर एक्ट 2020

प्रस्तावित नए नियम 4 को निम्नानुसार पढ़ना चाहिएः

"सीएसआर कार्यान्वयन

(1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी द्वारा या निम्न के माध्यम से सीएसआर गतिविधियाँ की जाएः

(क) इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट, जो की 1860 के अधिनियम के तहत या तो सार्वजनिक ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी या फिर सामाजिक संस्थान के नियमों को लागू करती है (जैसा कि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित किया जा सकता है) और जिसका व्यावसायिकता का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

(ख) संसद या राज्य विधानसभा के अधिनियम के तहत पंजीकृत या स्थापित कोई भी इकाई, संसद या राज्य विधानमंडल के तहत पंजीकृत कोई संस्था, जिसमें सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट या समाज षामिल है (जैसा कि राज्य विधायिका द्वारा संशोधित किया जा सकता है)।

बशर्ते कि क्लॉज (ए) या (बी) के तहत कवर की गई ऐसी कंपनी ध इकाई, निर्धारित षुल्क के साथ, रजिस्ट्रार के साथ, ई–फॉर्म सीएसआर–1 दाखिल करके, केंद्र सरकार के साथ खुद को पंजीकृत करेगी, किसी भी सीएसआर गतिविधि के लिए।

आगे कहा गया है कि इस उप–नियम के प्रावधान सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों को प्रभावित नहीं करेंगे जो कम्पनी (सीएसआर नीति) अमेंडमेंट नियमों, 2020 के प्रारंभ से पहले अनुमोदित किए गए थे। " [9]

लोकपाल अमेंडमेंट एक्ट, 2016

लोकपाल अमेंडमेंट एक्ट, 2016 को अनिवार्य रूप से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था। अधिनियम के अनुसार, लोक सेवकों को सरकारी अनुदान या विदेशी दान प्राप्त करने के लिए कानून में निध ार्रित प्रारूप में अपनी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करना आवश्यक था। लोक सेवकों में सरकारी कर्मचारी और स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारी ध बोर्ड सदस्य षामिल थे। हालाँकि, इसने बोर्ड के सदस्यों को असहज बना दिया और उनमें से कई ने पद छोड़ दिया। यह दोहराया गया कि स्वैच्छिक संगठनों के बोर्ड के सदस्य विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक क्षमता में काम करते हैं और इससे कोई व्यक्तिगत या व्यावसायिक लाभ नहीं जुड़ा है। वे स्वैच्छिक संगठनों के लिए और समाज के लिए काफी समय और संसाधन प्रदान करते हैं। इस कानून के लागू होने के खिलाफ बहुत सारी पैरवी और वकालत हुई और सभी संशोधनों को निरर्थक बना दिया गया। इसलिए, वर्तमान में लोक सेवकों को अपनी संपत्ति और वित्तीय विवरण [10] का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

सोसाइटिस रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860

साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ समाजों के पंजीकरण के लिए एक अधिनियम

जबकि यह समीचीन है कि प्रावधान उन स्वैच्छिक संगठनों की कानूनी स्थिति बेहार करने के लिए है जो साहित्य, विज्ञान, या ललित कला के प्रचार के लिए स्थापित किये गए हैं, या उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिए, स ख्राजनीतिक शिक्षा का प्रसार,, या धर्मार्थ उद्देश्य के लिएय

टिप्पणीरू एलिजाबेथ की कानून की भाशा और भावना के भीतर आने वाले धर्मार्थ उद्देश्यों को चार षाखाओ में बांटा जा सकता है, (प) गरीबी से राहत, (पप) शिक्षा, (पपप) धर्म की उन्नति और (पअ) समुदाय के लिए फायदेमंद अन्य उद्देश्य जो कि किसी भी पूर्ववर्ती षीर्श के अंतर्गत नहीं आ रहा है। इसलिए अधिनियम 21ध1860 में षब्दों को धार्मिक उद्देश्यों सहित भी समझा जाना चाहिए।

इसे निम्नानुसार लागू किया जाता हैरू –

एसोसिएशन और पंजीकरण के ज्ञापन द्वारा गठित सोसायटी

कोई भी 7 या ज्यादा व्यक्ति, जो की किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ उद्देश्य या फिर कोई और उद्देश्य जिसे इस संशोधन के सेक्शन 20 में समझाया गया है, एसोसिएशन के एक ज्ञापन में उनके नाम की सदस्यता लेकर, साथ ही साथ इसे संयुक्त स्टॉक कम्पनीज के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके, एक सामाजिक संसथान के रूप में खुदको पंजीकृत करवा सकते हैं।

इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882

निजी ट्रस्टों और ट्रस्टियों से संबंधित कानून को परिभाशित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

वैध उद्देश्य– किसी भी वैध उद्देश्य के लिए एक ट्रस्ट बनाया जा सकता है। एक ट्रस्ट का उद्देश्य तब तक वैध है जब तक कि वह (ए) कानून द्वारा निशिद्ध नहीं है, या (बी) ऐसी प्रकृति का है, जिसकी अनुमति होने पर, वह किसी भी कानून के प्रावधानों को विफल कर देगा, या (सी) धोखाधड़ी है, या (डी) किसी व्यक्ति या दूसरे की संपत्ति को चोट पहुंचाना या षामिल करना या (ई) न्यायालय इसे अनैतिक या सार्वजनिक नीति का विरोध मानता है। प्रत्येक ट्रस्ट जिसका उद्देश्य गैरकानूनी है वह षून्य है। और जहां एक ट्रस्ट दो उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, जिनमें से एक वैध और दूसरा गैरकानूनी है, और दो उद्देश्यों को अलग नहीं किया जा सकता है, पूरा ट्रस्ट अमान्यहै ।[12]

कंपनीज एक्ट, 2013

कंपनी का गठन – (1) किसी भी वैध उद्देश्य के लिए एक कंपनी का गठन निम्न के द्वारा किया जा सकता है – (अ) 7 या ज्यादा व्यक्ति यदि वह संगठन एक सार्वजनिक संगठन होगाय (ब) दो या अधिक व्यक्ति, यदि वह संगठन एक निजी संगठन होगाय या (ग) एक व्यक्ति, जिसे एक निजी कंपनी को अपने नाम या ज्ञापन के नाम की सदस्यता देकर और पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन करना है। :

बशर्ते कि एक व्यक्ति कंपनी का ज्ञापन निर्धारित प्रपत्र में उसकी पूर्व लिखित सहमति के साथ दूसरे व्यक्ति के नाम का संकेत देगा, जो ग्राहक की मृत्यु या अनुबंध के लिए उसकी अक्षमता की स्थिति में कंपनी का सदस्य बन जाएगा। और ऐसे व्यक्ति की लिखित सहमति भी उसके ज्ञापन और लेखों के साथ, कंपनी के निगमन के समय रजिस्ट्रार के पास दायर की जाएगीः

आगे कहा गया है कि इस तरह के अन्य व्यक्ति अपनी सहमति वापस ले सकते हैं जैसे कि निर्धारित किया जा सकता हैः

बशर्ते कि किसी कंपनी का सदस्य किसी भी समय ऐसे व्यक्ति का नाम इस तरह से नोटिस देकर बदल सकता है जैसे कि निर्धारित किया जा सकता हैः

बशर्ते कि यह सदस्य का कर्तव्य होगा कि वह कंपनी को किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करे, ज्ञापन में निर्धारित किये गए समय और तरीके के भीतर। और कंपनी भी निर्धारित किये गए समय और तरीके के भीतर, रजिस्ट्रार को किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करेगीः

बशर्ते कि व्यक्ति के नाम में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं माना जाएगा। (2) उप–धारा (1) के तहत गठित कंपनी या तो हो सकती है– (अ) षेयरों द्वारा सीमित कंपनीय या (ब) गारंटी द्वारा सीमित कंपनीय या (ग) एक असीमित कंपनी।[13]

अध्याय II: सरकार और वॉलंटरी सेक्टर के बीच संबंध

सरकार– वॉलंटरी सेक्टर संबंध अत्यंत जटिल, और लगातार बदलते रहने वाला है। इनका रिश्ता मुख्य रूप से, दोनों के बीच सूचना के आदान–प्रदान, संचार और संवाद पर काफी हद तक निर्भर करता है। वर्तमान संदर्भ में, जहां विभिन्न कारणों से वॉलंटरी सेक्टर का पूरा परिदृश्य बदल रहा है, बाद की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार और वॉलंटरी सेक्टर के बीच सहयोग पर ध्यान देने की जरूरत है। इन पंक्तियों पर, वॉलंटरी सेक्टर के लिए एक संशोधित और अधिक प्रासंगिक राष्ट्रीय नीति को अपनाना और लागू करना आवश्यक है।

एक तरफ, नीति आयोग ने 92000 स्वैच्छिक संगठनों की मदद मांगी, अंतर क्षेत्रीय भागीदारी को मजबूत करने के लिए और इस महामारी से लड़ने के लिए, जिसने पूरे देश के लाखों नागरिकों को प्रभावित किया है। दूसरी ओर, भारत सरकार ने वॉलंटरी सेक्टर को विनियमित करते हुए नए अधिनियम पारित किए, जो नियंत्रित करने और दम घुटने की कोशिश करते हैं।

ये अमेंडमेंट, वॉलंटरी सेक्टर के अस्तित्व पर हमला करने का एक मजबूत प्रयास है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि भारत में काम करने वाले छोटे संगठन सबसे ज्यादा संघर्श कर रहे हैं। स्वैच्छिक संगठन अपने अस्तित्व के लिए और उस मान्यता को प्राप्त करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके वे हकदार हैं। हालाँकि, सरकार उनके अस्तित्व का समर्थन नहीं करती है और कुछ कठोर कदम उठाए हैं जो उनके अस्तित्व को सिकोड़ रहे हैं।

वॉलंटरी सेक्टर के नेताओं ने माना कि सरकार के लिए कठोर नियमों को अपनाना आसान है, लेकिन स्वैच्छिक संगठनों के लिए, सरकार के साथ सीधा संवाद नहीं होने के कारण, सरकार के सामने अपनी चिन्ताओं को प्रस्तुत करना मुश्किल है। नेताओं ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार के कार्य सशक्त होने के बजाय वॉलंटरी सेक्टर के लिए अधिक हानिकारक हैं। उनके अनुसार, वॉलंटरी सेक्टर अपने कार्य और उसके प्रभाव के आधार पर एक संगठन चलाने में पूरी तरह सक्षम है। इन पंक्तियों पर सरकार से किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। वॉलंटरी सेक्टर को केवल सरकार की उन नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है जो नियंत्रित करने के बजाय सुविधा प्रदान कर रही हैं।

सरकारी धन पर निर्भरता या स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण कारक है जो सरकार और वॉलंटरी सेक्टर के बीच संबंधों को परिभाशित करता है। अधिकांश सेक्टर के नेताओं ने गहराई से साक्षात्कार के दौरान साझा किया, कि स्वैच्छिक संगठनों को सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या विकास कार्यक्रम पर सीधे काम करते समय। उन्हें व्यक्तिगत संस्थाओं के रूप में काम करना चाहिए। हालाँकि, सरकार की राय समान नहीं है। सरकार की नीति स्वैच्छिक संगठनों के लिए निरंतर समर्थन और धन का पक्षधर है। नेताओं के अनुसार, यह वॉलंटरी सेक्टर पर मजबूत पकड़ की षुरुआत है। फंडिंग और समर्थन के लिए सरकारी एजेंसियों पर निर्भरता बढ़ने से दोनों क्षेत्रों के बीच एक नाजुक रिश्ता बन गया है और इसने वॉलंटरी सेक्टर के प्रति सरकार के नियंत्रण के दृश्टिकोण को जन्म दिया है। सरकार पर बढ़ती निर्भरता ने सरकार के हाथों में अधिकार जमा लिया है, जिससे विश्वास और क्षेत्रों के बीच सम्मान में कमी आई है।

संशोधित नीति को इन अंतरालों को पाटने और सरकार और वॉलंटरी सेक्टर के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध और एक मजबूत साझेदारी को सक्षम करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। हालांकि, कुछ का मानना है कि वॉलंटरी सेक्टर के लिए राष्ट्रीय नीति, 2007 में दस्तावेज स्तर पर कोई अंतराल नहीं था। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति के कार्यान्वयन में अंतराल देखा गया। जबकि कुछ अन्य लोगों ने महसूस किया कि इस समय, नीति का क्रियान्वयन दोनों क्षेत्रों के बीच कार्य संबंध को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। न केवल वॉलंटरी सेक्टर से, बल्कि न्यायालय से भी अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि, सरकार वास्तव में जो चाहती है वह भी भ्रमपूर्ण है।

किसी भी सरकार के लिए गतिविधियों को विनियमित करने के लिए और संबंधित निर्णय लेने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए, नीतियों को विकसित करना एक मूलभूत आवश्यकता है। नीतियों के बिना, आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं होगी और भविश्य अप्रत्याशित रहेगा। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा रणनीति तैयार करने और निर्णय लेने के लिए ये दिशानिर्देश आवश्यक हैं।
नियामकों के दृश्टिकोण से एक नीति आवश्यक है। सरकार हर समय हर जगह मौजूद नहीं रह सकती है, गतिविधियों और प्रक्रियाओं की निगरानी करने के लिए, यह वह जगह है जहां नीति वास्तव में उपयोगी साबित होती है और आवश्यक सहायता प्रदान करती है। पॉलिसी एक तैयार रेकनर है जिसका पालन किया जा सकता है।
यह नीति भारत के विकास के दो स्तंभों के बीच एक नए पेशेवर संबंध के विकास की सुविधा प्रदान करेगी। स्वैच्छिक संगठन गंभीर पेशे में हैं और यह समान मान्यता के हकदार हैं। यह नीति समाज और राज्य को, वॉलंटरी सेक्टर को राश्ट्र निर्माण में एक आवश्यक भागीदार के रूप में देखने में सक्षम बनाएगी।

अध्याय III: वॉलंटरी सेक्टर के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना

अनुमानित 3.5 मिलियन संगठन भारत सरकार के साथ पंजीकृत हैं जो प्रकृति में भारत के वॉलंटरी सेक्टर को विविध बनाता है। राज्य ने ऐसे कानूनों को परिभाशित किया है जो वॉलंटरी सेक्टर को नियंत्रित करते हैं, लेकिन एक सहायक नियामक ढांचे का अभाव है। आज वॉलंटरी सेक्टर, अपने सिकुड़ते हुए अस्तित्व के प्रभावों, वित्तीय संसाधनों की कमी और एक नकारात्मक सार्वजनिक से जूझ रहा है। इस प्रकार, यह क्षेत्र बहुत चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानूनों में कई बदलाव किए गए हैं। सेक्टर के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं।

वॉलंटरी सेक्टर की राष्ट्रीय नीति, 2007 ने सुझाव दिया कि स्वैच्छिक संगठनों के प्रत्यायन से धन संबंधी बेहतर फैसले होंगे और निधि प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी होंगी। इसके अलावा, मान्यता बेहतर प्रशासन, प्रबंधन और स्वैच्छिक संगठनों के प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। वर्तमान में कोई विश्वसनीय मान्यता प्रणाली नहीं है। सरकार ने वॉलंटरी सेक्टर में विभिन्न एजेंसियों को प्रोत्साहित किया, एक वैकल्पिक प्रक्रिया विकसित करने के लिए जो इस तरह की कार्यप्रणाली पर बहस करने और वॉलंटरी सेक्टर में स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए समय की अनुमति देगा।

नीति ने सभी हितधारकों के लिए जवाबदेही की पहचान की और सुशासन में प्रमुख मुद्दों के रूप में कार्य करने में पारदर्शिता रखी। इन क्षेत्रों में वॉलंटरी सेक्टर के अपने स्वयं के बेंचमार्क स्थापित करने की उम्मीद थी। चूंकि स्वैच्छिक संगठन अपने उद्देश्यों और गतिविधियों में भिन्न होते हैं, इसलिए जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए समान मानदंडों की अपेक्षा करना अव्यावहारिक था। सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा और आम सहमति के निर्माण के लिए सहायता संगठनों

और स्वैच्छिक संगठनों के नेटवर्क और संघों को प्रोत्साहित किया। इसने ऐसी एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों को उन मानदंडों को अपनाने के लिए सलाह देने और सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जो उन्हें स्वीकार्य और उपयोगी लगते हैं।

वाणी के संस्थापकों ने स्व–नियामक तंत्र के लिए भी तर्क दिया, जो क्षेत्र के भीतर से विकसित होता है। वाणी द्वारा एक श आचरण का कोडश भी डिजाइन की गई थी। इसके द्वारा वाणी ने भारतीय स्वैच्छिक संगठनों के बीच जवाबदेह और पारदर्शी प्रथाओं को प्रोत्साहित करके स्व–नियमन को प्रोत्साहित किया। 2017 में, वाणी ने अपने आचरण का कोड को अपडेट किया, वाणी के गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बोर्ड, सेक्टर एक्सपर्ट्स, स्वैच्छिक संगठन, एकेडेमिया, स्टाफ और वॉलंटियर्स सहित विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक लेकर ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ इसे संरेखित किया।

विभिन्न प्रयासों के बावजूद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिशद की आवश्यकता बरकरार है। संशोधित नीति पूरे भारत में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सर्वोत्तम परिचालन मानकों के सुचारू पालन के लिए ऐसे निकाय की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी।

अध्याय IV: नई नीति के लिए सिफारिशें

यह अध्याय संभावित तर्कों के सारांश के साथ संबंधित है जो संशोधित नीति के प्रारूप में प्रस्तावित हो सकते हैं, जमीन से ठोस सबूत इकट्ठा करने के बाद हमारे तर्कों का समर्थन करने के लिए। निम्नलिखित सिफारिशें क्षेत्र के नेताओं के साथ गहन विचार–विमर्श और ऑनलाइन बैठकों के आधार पर हैं और इस क्षेत्र में और सरकार के साथ नीति को फिर से षुरू करने के संबंध में बातचीत षुरू करने का एक माध्यम है।

अ वॉलंटरी सेक्टर के लिए एक सक्षम वातावरण की स्थापनाः

वॉलंटरी सेक्टर विशेश रूप से सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस क्षेत्र में अलग–अलग तरह से सोचने की क्षमता है और आज जो कुछ भी समाज द्वारा मूल्यवान है, चाहे वह लैंगिक मुद्दे हों, मानवाधिकार, लोकतंत्र और अन्य प्रमुख मुद्दे हों, बड़े पैमाने पर वॉलंटरी सेक्टर द्वारा आगे बढ़ाए गए हैं, यहां तक कि प्रतिरोध का सामना करने के बाद भी। स्वैच्छिक संगठन, एक ताजा दृश्टिकोण, समुदाय की जरूरतों की समझ और समुदायों को अपनी चिंताओं को साझा करने के लिए एक मंच ला सकता है। इसलिए आवश्यक है कि वॉलंटरी सेक्टर को मजबूत किया जाए और वॉलंटरी सेक्टर के लिए कार्यशील वातावरण को सक्षम बनाया जाए। वॉलंटरी सेक्टर के प्रति उस विश्वास और प्रशंसा का पुनर्निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है।

सरकार समान रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करने और अपने विकास संगठनों के लिए एक एकल पंजीकरण खिड़की खोलने के लिए एक नोडल मंत्रालय के गठन को प्रोत्साहित करेगी। यह उन कानूनों और विधानों को बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा जो नीति के अनुरूप हैं और वॉलंटरी सेक्टर को सांस लेने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान कर रहे हैं। वॉलंटरी सेक्टर पर राज्य स्तर की नीतियों को भी क्षेत्र के सुचारू संचालन के लिए लागू किया जाना चाहिए। यह सरकार और वॉलंटरी सेक्टर के बीच निरंतर संवाद के लिए एक मंच सुनिश्चित करेगा। सरकार, सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रचारित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करेगी और उनसे पारदर्शी और जवाबदेह प्रणालियों का अभ्यास करने की उम्मीद रखेगी।

ब क्षमता निर्माणः

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और कोई भी सीखना बंद नहीं करता है। स्वैच्छिक संगठनों के लिए उन मुद्दों पर संवेदनशील होना जरूरी है जो उनके काम को प्रभावित करेंगे, और कानून जो उन्हें नियंत्रित करेंगे। बेहतर कार्य मानकों और बदलते परिवेश के साथ अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा, युवाओं में स्वेच्छाचारिता और ष्अच्छा करनेश की भावना को बहाल किया जाना चाहिए। इसलिए, राज्य स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता निर्माण के लिए, वॉलंटरी सेक्टर एक रणनीतिक और प्रभावी राज्य स्तरीय मंच स्थापित करने का सुझाव देता हैं।

इसके अलावा, वॉलंटरी सेक्टर के प्रति सरकारी अधिकारियों और कॉर्पोरेट क्षेत्र का व्यवहार परिवर्तन भी क्षेत्रों के बीच एक पारस्परिक सम्मान बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
सरकार, सरकारी अधिकारियों के लिए और स्वैच्छिक संगठनों के लिए संवेदीकरण कार्यशालाओं की सुविधा सुनिश्चित करेगी। सरकार उन संस्थानों का भी समर्थन करेगी जो पाठ्यक्रम चलाते हैं और वॉलंटरी सेक्टर में उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करते हैं।

ग कथा को बदलनाः

- देश कई प्रमुख समस्याओं का सामना कर रहा है जैसे कि जैविक आपदाय कोविड –19, लैंगिक असमानता, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, एचआईवी, जनसंख्या नियंत्रण, प्राकृतिक आपदाएं, अन्य। इन सभी के लिए रणनीतिक समाधान, जनशक्ति और क्षेत्रों तक पहुंचने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसलिए, इन समस्याओं से निपटने में वॉलंटरी सेक्टर को षामिल करना आवश्यक है, जैसा कि कोविड –19 के समय किया गया था। 90000 से अधिक, स्वैच्छिक संगठनों को सरकार द्वारा संपर्क किया गया और एक साथ, उन्होंने भारत के लोगो (9) को राहत सेवाएँ और बुनियादी सुविधाएं प्रदान कीं।

  एक बहु–क्षेत्रीय दृश्टिकोण बड़े पैमाने पर विभिन्न मुद्दों से लड़ने और तेजी से परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी और क्षेत्रों में आपसी विश्वास और सम्मान सुनिश्चित करेगी। यह क्षेत्र के आख्यान को बदलने और वॉलंटरी सेक्टर और उनके काम के लिए उचित मान्यता प्राप्त करने में मदद करेगी।

- क्षेत्र एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिशद की स्थापना की भी सिफारिश करता है जो वॉलंटरी सेक्टर द्वारा गुणवत्ता मानकों के पालन का आश्वासन देगा। यह जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और वॉलंटरी सेक्टर में विश्वास का पुनर्निर्माण करेगा।

- यह नीति यह भी सुनिश्चित करेगी कि बढ़ते अविश्वास और सार्वजनिक उदासीनता, वॉलंटरी सेक्टर की नब्ज न दबा दे, इसके लिए सुधारात्मक उपायों की तत्काल आवश्यकता है। भारत में स्वैच्छिक संगठनों ने एक श्प्रस्तावनाश विकसित करने का सुझाव दिया है की वॉलंटरी सेक्टर अनिवार्य रूप से है क्या। यह जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करेगा।

- निजी अस्पतालों, धार्मिक संघों, स्कूलों, स्पोर्ट्स क्लब, वॉलंटरी सेक्टर के साथ–साथ आरडब्ल्यूए जैसी संस्थाओं को षामिल करने से न केवल कथित संख्याओं को प्रभावित किया गया है, बल्कि कई बार वॉलंटरी सेक्टर की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। इस प्रकार, इन संस्थाओं के स्पश्ट परिसीमन (भारत में अनुमानित 3.5 मिलियन स्वैच्छिक संगठनों) की आवश्यकता है।

घ वित्तीय सहायताः

- विदेशी संगठनों से धन और उप–अनुदान, भारत में कई स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता रहे हैं। संगठनों को एफसीआरए एक्ट के तहत पंजीकृत होना चाहिए। हालाँकि, एफसीआरए एक्ट 2020 ने कड़े नियम पेश किए जो विदेशी फंडिंग का लाभ उठाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता को सीमित कर देंगे। यदि अनुमोदित किया जाता है, तो प्रशासनिक व्यय के लिए भत्तों में कमी, बैंक खाता और सरकार द्वारा निर्दिश्ट षाखा आदि जैसी समस्याएं स्वैच्छिक संगठनों पर भारी प्रतिबंध लगाती हैं।

  सरकार इन प्रावधानों को सरल करेगी और विदेशी एजेंसियों से धन की खरीद को सक्षम करेगी। इससे छोटे संगठनों को लंबे समय तक टिके रहने में मदद मिलेगी।

संदर्भ और ग्रंथ सूची

1) योजना, नवंबर 2011, वॉल्यूम 55

2) वार्शिक रिपोर्ट 2006–2007, डॉ राकेश के सिंह, वाणी

3) विदेशी अंशदान (विनियमन) अमेंडमेंट अधिनियम, 2020, 2020 का नंबर 33, द गजट ऑफ इंडिया, कानून और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, 2020

4) https://www-livemint-com

5) वॉलंटरी सेक्टर पर राष्ट्रीय नीति की पुनरावृत्ति और स्वयंसेवीकरण पर एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता, वाणी, मार्च 2014

6) https://niti-gov-in/planningcommission-gov-in/docs/data/ngo/npvol07-pdf

7) एफसीआरए विधेयक, 2020, सीएएफ इंडिया, 2020 के निहितार्थ पर विस्तृत नोट।

8) http://egazette-nic-in/WriteReadData/2020/218938-pdf

9) https://resource-cdn-icai-org/58749csr47857-pdf

10) http://egazette-nic-in/WriteReadData/2016/171048-pdf

11) https://www-mca-gov-in/Ministry/actsbills/pdf/Socities_Registration_Act_1860-pdf

12) https://legislative-gov-in/sites/default/files/A1882&02-pdf

13) http://ebook-mca-gov-in/Default-aspÛ\page¾main

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- भारत में नागरिक समाज संगठनों के संदर्भ में स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- फाइनेंषिंग सस्टेनेएबल डेवलपमेंट सिविल सोसाइटी परस्सपैक्टिव ऑन एषियन इनफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (अंग्रेजी)
- स्टडी ऑन कैपासिटी बिल्डिंग एंड नीड ऐसैसमेंट ऑफ वालंटरी ऑग्रेनाइजेषनस (अंग्रेजी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए एक समर्थकारी वातावरण बनाने की दिषा में: एक अध्ययन रिपोर्ट
- इंडिया–अफ्रीका पार्टनरषिपः ए सिविल सोसाइटी परस्पैक्टिब (अंग्रेजी)
- उपद्रवग्रस्त राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत पर विषेश ध्यान केंद्रित करते हुए एसएससी में विकास वित्त और सहयोग (अंग्रेजी और हिन्दी)
- इन्कम टैक्स एक्ट फार दी वालंटरी सैक्टर – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- मॉडल पॉलिसी रजिस्ट्रेषन – ए स्टडी रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुषासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुषासन पर एक हैंडबुक
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी)
- भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- वित्तीय समावेष की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देष नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- बहिश्कृत लोगों को षामिल करना – भारत में समावेषपूर्ण संवृद्धि सुनिष्चित करना नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में भ्रश्टाचार और अभिषासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिन्दी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राइमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिषीलता
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को षामिल करना
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह
- भारत की विकास सहयाताः रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ
- जी 20 में भारत की भूमिकाः एक नागरिक समाज दृश्टिकोण
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोशण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राइमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- षिक्षा, स्वास्थ्य और पोशण, जल और स्वच्छता के विशयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)

वोलन्टरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) के बारे में

वाणी भारतीय वोलन्टरी विकास संगठनों (वीडीओएस) का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। वर्तमान में वाणी के भारत में लगभग 10,000 वीडीओएस के साथ 540 सदस्य हैं। वाणी की सदस्यता घास की जड़ों से लेकर राष्ट्रीय संगठनों तक है। सदस्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पोशण, एकीकृत बाल विकास, आजीविका, कौशल विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, जल और स्वच्छता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और तैयारियों, कृशि, गरीबी सहित सरकार के प्राथमिकता वाले विकास के मुद्दों पर काम करते हैं। और इसी तरह, देश के कुछ सबसे दुर्गम क्षेत्रों में काम करते हैं। वर्श 2017–18 में, हमारा नेटवर्क सामूहिक रूप से बच्चों, विकलांगों, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, आपदा से बचे, बेरोजगार, युवाओं, एलजीबीटी, यौनकर्मियों सहित कमजोर और हाशिए के समूहों से जुड़े 32 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचा। वाणी ने अपने प्रयासों और रणनीतियों के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय बल्कि क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर एक मजबूत वॉलंटरी सेक्टर का निर्माण किया है। वाणी को स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए मिशन के साथ स्थापित किया गया था, मूल्य आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देकर क्षेत्र के लिए जगह बनाई है। वाणी के हस्तक्षेप बाहरी और आंतरिक सक्षम वातावरण को मजबूत करने के लिए केंद्रित हैं। बाहरी सक्षम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, वाणी साक्ष्य आधारित वकालत करता है जिसमें नियामक ढांचे और संसाधन निर्माण षामिल है। इस वाणी को हासिल करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अन्य हितधारकों के साथ काम करती है। आंतरिक सक्षम वातावरण को मजबूत करने के लिए, वाणी लचीलापन बनाने और इंटरैक्टिव षैक्षिक घटनाओं और सूचना प्रसार के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। वाणी प्रमाण आधारित अनुसंधान आयोजित करके एक संसाधन केंद्र बनने का प्रयास करता हैय न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी अध्ययन, लेख और रिपोर्ट प्रकाशित करता है ।

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

वोलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
वाणी हॉउस, 7, पी. एस. पी. पॉकेट,
सेक्टर 8, द्वारका, नयी दिल्ली
फोन : 011–40391661, 40391663
ईमेल : info@vaniindia-org | वेबसाइट : www-vaniindia-org